रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062020-220281
CG-DL-E-30062020-220281

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1904] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2020/आषाढ़ 9, 1942
No. 1904] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2020/ASHADHA 9, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 2020

का.आ. 2149(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक एवं हितकर है, अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इस आदेश को प्लेन कॉपीयर पेपर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छ: महीने बाद प्रभावी होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग- निम्नलिखित तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तद्नुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं या सामान पर इस आदेश से कुछ भी लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – ब्यूरो उक्त तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
प्लेन कॉपीयर पेपर	आईएस: 14490: 2018	प्लेन कॉपीयर पेपर - विशेषताएं

नोट : इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए संशोधनों सहित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण ऐसी अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।

[फा. सं. 15(63)/2014-पेपर]

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 5th June, 2020

S.O. 2149(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title commencement– (1) This Order may be called the Plain Copier Paper (Quality Control) Order, 2020.

(2) It shall come into force after six months from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Compulsory use of Standard Mark.- The goods or articles specified in the column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles meant for export.

3. Certification and enforcement authority.- The Bureau shall be the certifying and enforcement authority for the goods or articles specified in the column (1) of the Table.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Plain Copier Paper	IS 14490:2018	Plain Copier Paper- Specification

Note : For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standard including the amendment thereof notified by the Bureau time to time, shall apply from date of such notification.

[F. No. 15(63)/2014-Paper]

ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.06.30 22:20:09 +05'30'